न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज०
पीठासीन अधिकारी - श्री तिरवालीराम मीना R.A.S

प्र०-पत्र सं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
199/14	11.8.2014	09/11/2017

अनुवान

[1] रमेशा पुत्री श्री राम पत्नि सतपालसिंह कौम अहीर निवासी जौंडिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर हाल निवासी सिहरांगा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)

[2] संतोष पुत्री श्रीराम पत्नि निजामसिंह कौम अहीर निवासी जौंडिया तहसील कोटकासिम हाल निवासी सिहरांगा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)

[3] कान्ता पुत्री श्रीराम पत्नि देशराज जाति अहीर निवासी जौंडिया तहसील कोटकासिम हाल निवासी हरिनगर तहसील व जिला रेवाडी (हरि.)

[4] राजदेवी पुत्री श्रीराम यादव पत्नि लीलाराम जाति अहीर निवासी जौंडिया तहसील कोटकासिम हाल निवासी गोरखनावा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)

-प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

[1] भूरको (डिलीट किया गया)

[2] ओमप्रकाश

[3] बाबूलाल पुत्रान श्रीराम कौम अहीर निवासी जौंडिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

[4] तहसीलदार मार्फत सरकार, कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

[5] उप पंजीयक कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर

[6] विजयपाल पुत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी ग्राम जौंडिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

-अप्रार्थीगण/प्रति०

खण्ड अधिकारी
कासिम (अलवर)

लगातार

Scanned by CamScanner

अभिकथन :-

[1] श्री निवास शर्मा अधिवक्ता, प्रार्थीगण

[2] श्री विकास यादव अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 6

प्रार्थीगण ने अपने वाद के साथ मय अधिवक्ता उप न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं प्रार्थना पत्र अं.धा. 212 रा.भू.रा.अ. अनुच्छेद 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का संशोधित रूप आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खाता सं. नं. 378/2-09 में 1/12, 382/1-19 में 1/16, 383/4-15 में 1/9, 1588/1/1-11 शामिल जो कुल में 1588/4-04 बिस्वा था अब 1588/1/1-11 बिस्वा है। 1592/0-02 बिस्वा वाकै ग्राम जोरिया तहसील कोटकासिम जो श्रीराम पुत्र गंगा के हिस्से की शामिल आराजी है। श्रीराम पुत्र गंगा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को आराजी मुतदाविया का दर्ज पैरा सं. 1 के मुताबिक आराजी मुतदाविया का काबिज काश्त खातेदार रहा। प्रार्थीगण के पिता श्रीराम की फौती के पश्चात नामान्तकरण सं. 212 दर्ज व मंजूर प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर कैम्प जोरिया में दिनांक 18.5.1989 को हम वादीगण के मौजूद होते हुए अपने नाम प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ने दर्ज व मंजूर करवाया। नामान्तकरण करते वक्त बिल्कुल गलत तरीके से दर्ज मंजूर करवाया। उक्त नामान्तकरण मंजूर करने से पूर्व कोई जांच नहीं की गई। हम प्रार्थीगण / वादीगण जो मृतक श्रीराम की पुत्रियाँ हैं के अस्तित्व का कोई अंकन नामान्तकरण में रखा जाना चाहिए था कि पटवारी ने किया वहाँ पटवारी ने नहीं किया। अप्रार्थीगण व राजस्व कर्मचारियों ने यह तथ्य जानबूझकर छुपाया। जबकि प्रार्थीगण नियमानुसार वैधानिक रूप से मृतक श्रीराम की विरासत प्राप्त करने की अधिकारी हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण क्रमांक 3 की माता श्रीमती जिलसी देवी की मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण सं. 2015 वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 3 के नाम दर्ज व मंजूर किया गया। आराजी ख.नं. 1588/1/1-11, 1592/0-02 बिस्वा को प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 24.6.14 को बिना जोर कब्जा बिना प्रतिफल के बिना कब्जा के बनावटी गुमनामी तौर पर विक्रयपत्र पुत्र इकबाल जाति कहोर के नाम से पंजीकृत करवाया जो हम लोगों को

Sd/-

...खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

लगातार

विरुद्ध कानून को नजरअंदाज है या कायदे पाबंदी हम वादीगणों के हकूकों के विरुद्ध स्वामित्वों बाइड है, निरस्त करार किया जावे। विवादित आराजी मुतनाजिया में हम वादीगण का 4/7 हिस्सा कब्जा काश्त हिस्सेदारी का है तथा प्रतिवादीगण का मुताबिक विरासत 3/7 हिस्सा मृतक श्रीराम के कब्जे काश्त आराजी का है प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर मृतक श्रीराम का गलत नामान्तरकरण दर्ज कराकर अधिक रकबे का गलत अंकन राजस्व रिकार्ड में कराया है जो खारिज कर हटाये जाने योग्य है। वादीगण को मृतक श्रीराम की विरासत के आधार पर 4/7 हिस्से की आराजी का काबिज काश्त स्वीकार घोषित किया जावे। इस गलत इन्द्राज की जानकारी हम वादीगण को 30.6.14 को हुई। जो गलत अंकन अप्रार्थी सं. 1ता.3 के नाम का हो रहा है उसे खारिज किया जावे। एवं दुरुस्त इन्द्राजात स्वामी से पारित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 6 ने उपस्थित होकर मय अभिभाषक जवाब संशोधित जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि इन्तकाल सं. 212 विधिवत तरीके से प्रतिवादी सं. 1ता.3 के नाम बाद जांच राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों के कैम्प नौहिया में दिनांक 18.5.1981 को दर्ज व मंजूर किया। वादीगण ने अपने वाद में अंकित किया कि वक्त नामान्तरकरण कैम्प में मौजूद थे तो इन्तकाल का एतराज क्यों नहीं किया। वादीगण को कानूनी रूप से इन्तकाल खिलाफ दावा करना चाहिये था। वादीगण द्वारा वाद मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो काबिले खारिज है। इन्तकाल सं 2015 मृतक गिरधी देवी का प्रतिवादीगण 1ता.3 को प्राप्त होने के बारे कानूनी रूप से बहक वारिसान प्र.1ता3, दर्ज व स्वीकार किया गया है। ख.नं. 1588/1.1-11, 1592/0-02 किस्म का बयनामा दिनांक 24.6.14 को जुगता मृतक द्वारा निज प्रतिवादी सं. 6 के हितार्थ के हक में बयनामा विधिवत तरीके से कराया गया है। निज प्रतिवादी विवादित आराजी का वैध काबिज काश्तकार है तथा प्रतिवादी सं-2ता5 ने वादीगण से मिलकर कॉलूजन तरीके से न्यायालय की राह में

उप खण्ड अधिकारी

लगातार

बाद पेश किया है। वादीगण न्यायालय में शुद्ध हस्त होकर नहीं आये है। अतः विपक्षी वादीगण/ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं कहा कि मृत प्रार्थीगण आपके पिता स्व. श्रीराम की नाजायज वारिसान है। कैम्प जोगीडिया में पिता स्व. श्रीराम का नामान्तकरण सं. 212 दर्ज करते समय हम प्रार्थीगण वहाँ मौजूद थे जो किन्तु राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से मिलीभगत होकर प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 3 ने अपने नाम दर्ज को मंजूर करा लिया। मृत प्रार्थीगण पिता स्व. श्रीराम की नाजायज पुत्रियाँ (वारिसान) है। अतः विपक्षी प्रार्थीगण को 4/7 भाग का खातेदार करारकर घोषित किया जावे। माता मिसरी देवी की मृत्यु का नामान्तकरण संख्या 2015 वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज को मंजूर किया गया है जो बयनामा प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 6 विजयपाल के पक्ष में करवाया है उसे बातिल व वेअसर करार दिया जावे।

विद्वान वकील प्रतिवादी सं. 6 ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थीगण/वादीगण को नामान्तकरण स्व. श्रीराम का पता था। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 3 के नाम नामान्तकरण सं. 212 बाद जांच राजस्व कर्मचारियान एवं अधिकारियान कैम्प ग्राम जोगीडिया में दिनांक 18.5.1981 को दर्ज व स्वीकार किया गया। उस वक्त वादीगण ने अपने आपको कैम्प में होना अंकित किया है प्रार्थीगण को जब नामान्तकरण सं. 212 का ज्ञान था तो उसी इन्तकाल अपील दर्ज करनी चाहिये थी जो नहीं की गई। मृतकों के समस्त इन्तकाल बाद जांच सही दर्ज किये गये है। सुवटा स्व. श्रीराम जो बयनामा पंजीबद्ध करवाया है वह विधिवत तरीके से करवाया है प्रतिवादी सं. 6 विवादित भूमि खसरा नं. 1588/1 व 1592 का बोनाफाईड परचेजर फॉर वैल्यू कन्सीडरेशन है। प्रार्थना पत्र में कोई प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं है। न प्रार्थीगण (अलवर) को कोई नापूर्ती होने वाली हानि की संभावना है इसलिये प्रार्थना पत्र

(लगातार)

खण्ड अधिकारी
...रामिम (अलवर)

कायमी अमल दर्ज समस्त स्थगित रखा जावे।

तदनुसार विद्वान की बहस पर अमल किया एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मृतक श्रीराम की वारिस पुत्रियां है। मृतक श्रीराम का नामांतरकरण सं. 212 दर्ज व स्वीकार हुआ तब प्रार्थीगण वहां मौजूद थी। लेकिन प्रत्यर्थीगण सं. 1 लगा. 3 ने चालाकी होकर इन्तकाल अपने नाम दर्ज को स्वीकार करा लिया। प्रत्यर्थी सं. 6 के अधिवक्ता का कथन है कि जब नामान्तरकरण सं. 212 मौजा कोटडिया में दर्ज व स्वीकार करते वक्त प्रार्थीगण वहां मौजूद थी तो ऐतराज क्यों नहीं किया। प्रार्थीगण को जब उक्त इन्तकाल की जानकारी थी तो अपील इन्तकाल दर्ज करनी चाहिये थी। सं. 2015 में प्रार्थीगण व प्रत्यर्थी सं. 1 लगा. 3 के नाम दर्ज को स्वीकार है।

विद्वान वकलाय की दलीलों से यह साबित है कि जब नामान्तरकरण प्रार्थीगण मौजा कोटडिया में मौजूद थी जो प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है तब प्रार्थीगण को नामान्तरकरण का ज्ञान था तो नामान्तरकरण की अंदर मियाद अपील दायर करनी चाहिये थी। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं कर सकी। जब प्रथम दृष्टया साबित नहीं कर सकी तो अपूर्णीय होने वाली क्षति व सुविधा का संतुलन भी होने की सम्भावना नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अ.धा. 212 राज.टी.एक्ट व सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जा.दी. खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09/11/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

...इन्दाज दुरुस्ती